पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

रागेला

गाँव - रागेला

पंचायत- रागेला

तहसील- दोवड़ा

जिला- डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

रागेला गाँव का परिचय

रागेला गाँव रागेला ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है । रागेला गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है । रागेला गाँव की सीमा के उत्तर में नया गाँव, पूर्व में पुनाली, पश्चिम में नरणिया, दक्षिण में हड़मतिया गाँव है ।

राजस्व गाँव रागेला में 4 फले है -

1. आसेला फला
2. टामडवेला फला
3. ओडा फला
4. बटीकड़ा फला

रागेला गाँव में 07 जून, 2018 को शिलालेख हुआ है उसी दिन गाँव सभा और शांति समिति का गठन कर दिया गया । गाँव में करीब 500 घर है जिनकी आबादी करीब 2500 है। गाँव के लोग दूर-दूर छोटे समूहों में अपने खेतों के पास बसे हुए है । जहां आने जाने के लिये 4 छोटी पक्की सड़के, 8 सी.सी. सड़के और 4 कच्ची सड़के है । गाँव में एस.टी. जाति के "परमार, ननोमा और दाईया" उपजातियों के लोग रहते है । इनके अलावा गाँव में पाटीदार समाज के परिवार है जो गाँव की मुख्य रोड़ के किनारे के फलों में घर बना कर रह रहे है । शिलालेख होने के बाद से लगातार गाँव में पेसा कानून को लेकर वागड़ मजदूर किसान संगठन के द्वारा बैठके एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते रहे है । गाँव के ज्यादातर लोगों को राजस्थान सरकार के पेसा कानून के नियमों और अधिकारों की जानकारी है । हर माह निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है ।

गाँव की कुल जमीन 349 हेक्टेयर है जिसमे कृषियोग्य जमीन, बिलानाम जमीन, चारागाह और जंगल की जमीन शामिल है । गाँव का जंगल, बिलानाम जमीन पर वन विभाग और सरकार का कब्ज़ा है । गाँव की चारागाह की जमीन गाँव के कब्जे में है । गाँव की पूर्व दिशा की ओर बड़े पहाड़ है जिनसे पत्थर निकाला जाता है, गाँव के लोग काम में लेते है ।

आवागमन की स्थिति

रागेला गाँव के बीच से होकर डूंगरपुर - आसपुर रोड़ गुजरती है । गाँव की अधिकतर जमीन समतल है इसलिए यहाँ सड़क व्यवस्था भी ठीक है । गाँव में चार पक्की डामरीकृत सड़के है, जो मुख्य सड़क से गाँव के चारों दिशाओं में है । दो पक्की सड़के क्षतिग्रस्त होकर ख़राब हो गयी है उनमे गड्डे हो गये है । गाँव में 8 सी.सी. सड़के है जो गाँव के फलों को जोडती है । लेकिन सभी सी.सी. सड़कों में दरारें पड़ गयी है और नालियाँ टूट गयी है । जहाँ सी.सी. सड़कों की पहुँच नहीं बन पायी है वहाँ 4 कच्ची सड़क है । गाँव के मुख्य सड़क पर एक बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो और जीप दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए मुख्य बाजार पुनाली 3 किमी और डूंगरपुर 20 किमी दूर है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

शिक्षा

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गये है और कमरों की कमी, अध्यापकों की कमी

और बैठने के लिए कक्षाओ में दरी-पट्टी नहीं है । अध्यापक की कमी के कारण दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और गुणवत्ता में कमी है । उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी पूरे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । तीनों ही विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है । गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते है । गाँव में 2 आंगनवाडी है ।

स्वास्थय

गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसके लिए नरणिया जाना पड़ता है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 3 किमी दूर पुनाली में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 20 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल भी पुनाली गाँव में है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के सभी घरों में बिजली है। गाँव में 4 बिजली के ट्रांसफार्मर है। गाँव में 150 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास और 50 मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है । गाँव में पेंशन योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, मनरेगा, भामाशाह योजना, शौचालय जैसी सरकारी योजनायें लागू है । गाँव में लगभग 100 घरों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत चूल्हा और गैस सिलेन्डर उपलब्ध करा दिया गया है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि की ज्यादातर जमीन समतल है जो पाटीदार समाज के लोगो के पास है, बाकी की कृषि जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली है जिस पर आदिवासी खेती करते है । गाँव में खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की पैदावार होती है । लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। फिर बाजार से या राशन की दुकान से खरीदकर लाना पड़ता है ।

गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि मनरेगा में न तो 100 दिन काम मिलता है न ही पूरी मजदूरी मिलती है इसलिए पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में काम की तलाश में जाते है और कुछ लोग गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। कई बार शहर में काम ना मिलने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है । गाँव के पाटीदार समाज के लोग खेती करने के साथ ही जनरल स्टोर की दुकान भी चलाते है ।

सिंचाई के पानी की स्थिति

सिंचाई के लिए पानी बारिश के बाद तीन माह के लिए ही मिल पाता है । सिंचाई के लिए 2 छोटे तालाब और 1 बड़ा तालाब है, जिसमे बारिश में 2 नालों से पानी की आवक होती है । एक तालाब गाँव की गंदगी और नालियों के पानी जमा होने से किसी उपयोग में लेने लायक नहीं रह गया है । 2 बरसाती नाले है जिन पर 5 छोटे कम ऊंचाई के एनिकट बनाये गये है । पांचो एनीकट पुराने बने हुए है और अब जर्जर हो गये है । उनसे पानी रिस कर बह जाता है । 20 कुएं है जिसमे से 10 कुएं सालभर पानी उपलब्ध कराते है, इनमे से पांच कुएं सार्वजनिक है । गाँव में पाटीदार समाज के लोगो ने निजी बोरवेल भी खुदवाये है, लेकिन सभी जल-स्रोत मध्य ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते है । गर्मी में पानी का जल स्तर 200 फीट से नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है ।

रागेला गाँव की चिन्हित समस्याओं का विवरण

प्राकृतिक संसाधन

गांव में जंगल, बिलानाम जमीन वन विभाग और सरकर के कब्जे में है । आज से 50-60 साल पहले गाँव के पहाड़ो और चारागाह में जंगल काफी फैला हुआ था । पहले छोटी बड़ी सभी पहाड़ियाँ हरी-भरी थी और उनपर सागवान, गोंद, आवला, महुआ के पेड़ थे, जंगल से चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते, घास जैसी लघुवन उपज होती थी। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते थे । लेकिन वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद जंगल बर्बाद हो गया है । सागवान, महुआ के पेड़ खत्म हो गये है और पूरे जंगल में केवल बबूल के कटीले पेड़ है । जो ना गाँव के लोग जलाने के काम में ले सकते है ना अन्य किसी काम में । जंगल की जमीन भी अब बहुत कम बची है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। गाँव के पहाड़ में पत्थर मिलते है जिन्हें लोग मकान बनाने और खेतों की चारदिवारी बनाने के लिए ले जाते है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में ज्यादातर व्यक्तियों को उनके कब्जे की जमीन के व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले है । गाँव की चारागाह की जमीन पर लोगों ने अपना घर और खेत बना कर कब्ज़ा कर लिया है, छोटी-छोटी डुंगरियों पर भी लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है। गाँव में जिन लोगों के पास खातेदारी हक है वो न्यूनतम दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा भूमि का है । आबादी बढ़ने से भी जोत कम हो रही है । जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीले होने के कारण खेतों को समतलीकरण की आवश्यकता है । खेतों में सिंचाई के पानी का संकट रहता है जिस कारण लोगों के खाने के लिए अनाज का उत्पादन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है । गाँव के तालाब, एनिकट जल्दी ही सूख जाते है क्योंकि गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। गाँव में पानी का स्तर 200 फुट गहराई में चला गया है । गाँव में 20 कुएं है, जिसमे से 10 सूखे ही रहते है बाकी के 10 कुओं में गर्मी में पानी इतना ही बचता है कि पशुओ के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है । पांच कुएं सार्वजनिक है जिसका पानी गाँव के सभी लोग काम में लेते है । बाकी के पांच कुएं लोगो के खेतों में है जिनसे सिंचाई की जाती है । गाँव में 20 हैंडपंप है। जिनमें से 10 हैंडपंप सूखे ही रहते है, बाकी के 10 हैंडपंपों से पूरे साल पीने का पानी मिल जाता है । लेकिन पीने के पानी में आयरन और फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा है जिस कारण लोगों को फ्लोरोसिस नामक गंभीर बिमारी हो रही है । गर्मी में पानी इतना गहराई में उतर जाता है कि बोरवेल में भी पानी कम या बंद हो जाता है । वर्षाजल को संरक्षित करने के विषय में गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है न ही पंचायत और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे रही है ।

आवागमन की समस्या

रागेला गाँव के बीच से होकर डूंगरपुर - आसपुर रोड़ गुजरती है । गाँव में चार पक्की डामरीकृत सड़के और भी है, जो मुख्य सड़क से गाँव के चारों दिशाओं में है । दो पक्की सड़के क्षतिग्रस्त होकर ख़राब हो गयी है उनमे गड्डे हो गये है । गाँव में 8 सी.सी. सड़के है लेकिन सभी सी.सी. सड़कों में दरारें पड़ गयी है और नालियाँ टूट गयी है । जहाँ सी.सी. सड़कों की पहुँच नहीं बन पायी है वहाँ 4 कच्ची सड़क है । लेकिन कहीं पर भी इन रास्तों पर गर्मी में पीने के पानी के लिए कोई हैंडपंप की सुविधा नहीं है । बारिश में सभी रास्ते कीचड़ के नाले में परिवर्तित हो जाते है जिससे लोगों को आने जाने में समस्या हो जाती

है । गाँव के मुख्य सड़क पर एक बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो और जीप दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गये है और कमरों की कमी, अध्यापकों की कमी और बैठने के लिए कक्षाओ में दरी-पट्टी नहीं है । अध्यापकों की कमी के कारण दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और गुणवत्ता में कमी है । उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी पूरे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । तीनों ही विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है । गाँव और पंचायत की ओर से इस समस्या को लेकर गंभीरता नहीं है । अक्सर बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर रोजगार में जुट जाते है ।

गाँव में 2 आंगनवाडी है, एक आंगनवाड़ी की छत से पानी टपकता है, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री भी नहीं है । दूसरी आंगनवाड़ी गाँव के सामुदायिक भवन में संचालित की जा रही है । इन कारणों से गाँव के बच्चे आंगनवाड़ी कम ही जाते है । गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसके लिए 2 किमी दूर नरणिया जाना पड़ता है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 3 किमी दूर पुनाली में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बड़ा हॉस्पीटल 20 किमी दूर डूंगरपुर में है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पालन किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने के कारण खेतों में पशुओं के लिए प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। पर्याप्त और पौष्टिक पशु आहार के अभाव में दूधारू पशु दूध भी कम देते है । गाय 1 लीटर और भैंस ढाई लीटर ही दूध देती है । दूधारू पशु भी अच्छी नस्ल के नही है । चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते है ।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

गाँव में कृषि की ज्यादातर जमीन समतल है जो पाटीदार समाज के लोगो के पास है, बाकी की कृषि जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली है, जो आदिवासियों के पास है । गाँव में खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की पैदावार होती है । गाँव के तालाब, एनिकट जल्दी ही सूख जाते है क्योंकि गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। खेतों में सिंचाई के पानी का संकट रहता है जिस कारण लोग खाने के लिए अनाज का उत्पादन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है । यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। गाँव में पाटीदार समाज के लोगो ने सिंचाई के लिए निजी बोरवेल भी खुदवाये है, वे मोटर के जरिये पानी निकाल कर फसल का उत्पादन करते है । लेकिन सभी जल-स्रोत मध्य ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते है । गर्मी में पानी का जल स्तर 200 फीट से नीचे चला जाता

है और पानी की कमी हो जाती है । कृषि उपज के समाप्त होने के बाद खाद्यान्न के लिए बाजार या राशन की दुकान पर निर्भर होना मजबूरी है ।

गाँव में राशन की दुकान नहीं है, इसके लिए नरणिया जाना पड़ता है । राशन की दुकान पर सरकारी आदेशानुसार जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता तब तक राशन नहीं दिया जाता, पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट ना आना या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है कई बार तो लोगो को बार बार अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ कर लाइन में लगना मज़बूरी रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है । खेती में अधिकं रासायनिक खाद का उपयोग और सिचाई के पानी में ज्यादा खारापन होने के कारण जमीन कठोर हो गयी है और उत्पादन घट गया है ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। कई बार शहर में काम ना मिलने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है । गांव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। अभी मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिलते है। रोजगार के साधनों के अभाव के पीछे मुख्य कारण अच्छी तकनीकी शिक्षा नहीं मिलना और उन्नत खेती के प्रशिक्षण का अभाव है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	गाँव का भू जलस्तर 200 फीट नीचे चला गया है । 2 बरसाती नाले है जिन पर 5 छोटे कम ऊंचाई के एनिकट बनाये गये है । पांचो एनीकट पुराने बने हुए है और अब जर्जर हो गये है । उनसे पानी रिस कर बह जाता है । गाँव में 2 छोटे तालाब और 1 बड़ा तालाब है, जिसमे बारिश में 2 नालों से पानी की आवक होती है । एक तालाब गाँव की गंदगी और नालियों के पानी जमा होने से किसी उपयोग में लेने लायक नहीं रह गया है । गाँव में 10 चालू कुएं और 10 चालू हैंडपंप है, जो चालू है उनका पानी भी	फ्लोराइड मुक्त पेयजल के लिए गाँव में अच्छे कुएं और हैंडपंप पर आर.ओ. प्लांट लगवाना । नालों की रिन्गवाल बनाकर खेतों के बीच में पानी के लिए छोटे पक्के गड्डे बनाना ताकि सिंचाई के लिए पानी को रोका जा सके । नालियों के जरिये गंदे पानी कों गाँव के बाहर बेकार जमीन पर बड़ा गड्डा बना कर इक्ठटा किया जाये और और तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बनाई जाये और जर्जर एनीकट को मरम्मत उसकी ऊंचाई बढ़ाना । तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है तथा सिचाई भी पूरी हो सकती है । गाँव में

	फ्लोराइड युक्त है । चालू कुओं के पानी से सिंचाई और मवेशियों के पानी के लिये व्यवस्था की जाती है । गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह पहाड़ जंगल	गाँव के आदिवासी लोगों के पास छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है, बेनामी जमीन, जंगल पर सरकार और वन विभाग का अधिकार है। जंगल में विलायती बबूल के पेड़ है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। जंगल से थोड़ा बहुत चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है।	गाँवसभा प्रस्ताव में दर्ज करवाकर केटेगरी-4 में भूमि समतलीकरण अपना काम योजना के तहत करवाकर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाँव की जिस जमीन पर खेती नहीं होती है या जंगली घास है उसे साफ करके वृक्षारोपण रोपण करना, लघुवनोपज से आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जंगल को गाँव के अधीन लेकर बबूल को हटाकर जंगल को फिर से जीवित करना और लघुवन उपज लेना ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	दो पक्की सड़के क्षतिग्रस्त होकर ख़राब हो गयी है उनमे गड्डे हो गये है । सभी सी.सी. सड़कों में दरारें पड़ गयी है, नालियाँ टूट गयी है और 4 कच्ची सड़क है । लेकिन कहीं पर भी इन रास्तों पर गर्मी में पीने के पानी के लिए कोई हैंडपंप की सुविधा नहीं है । बारिश में सभी रास्ते और कच्ची मिट्टी की सड़के बारिश में फिसलन भरी कीचड़ के नाले में परिवर्तित हो जाते है जिससे लोगों को आने जाने में समस्या हो जाती है । सडको की बदहाली का नुकसान मरीजों और गर्भवती महिलाओ को होता है और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है ।	गाँव के सभी कच्चे रास्ते चौड़े करके सी.सी. सड़क में बदले जाये और टूटी पक्की सड़क, सी.सी. सड़क को पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी ।
स्कूल प्राथमिक स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गये है और कमरों की कमी, अध्यापकों की कमी और बैठने के लिए कक्षाओ में दरी-पट्टी नहीं है ।	स्कूलों की मरम्मत और नये कमरे बनवाना । शौचालय की भी मरम्मत करवा कर पानी की व्यवस्था करना । स्कूल में बच्चों के पीने के पानी के लिए आर.ओ.

	अध्यापकों की कमी के कारण दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है। जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी पूरे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है। तीनों ही विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है।	प्लांट लगाया जा सकता है ताकी बीमारियों से मुक्त रहे। पूरे अध्यापक नियुक्त किये जाये।
आंगनवाड़ी केंद्र	एक आंगनवाड़ी का भवन नहीं है आंगनवाड़ी की छत से पानी टपकता है, पीने के पानी, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री की आवश्यकता है।	अलग से आंगनवाड़ी का नया भवन बनवाना। छत और फर्श की मरम्मत, शौचालय निर्माण, छोटा आर.ओ. प्लांट लगवाना। खेलने और अक्षर ज्ञान के लिए समुचित प्रबन्ध करना।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 2 प्राथमिक और एक उच्च माध्यमिक स्कूल है, सभी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है स्कूल बिल्डिंग जर्जर हो गयी है। स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है। पीने के शुद्ध पानी के लिए आर. ओ. नहीं लगा है। कक्षा-कक्षों की कमी है।	गाँव सभा में प्रस्ताव लेकर अध्यापक नियुक्ति, कमरा निर्माण, शुद्ध पानी की व्यवस्था और नये शौचालय बनवाने हेतु पंचायत और शिक्षा विभाग से ज्ञापन देकर समस्या हल करना	**तात्कालिक**
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में भू-जल 200 फिट गहराई में चला गया है। गाँव में आधे कुएं और	जो हैंडपंप बंद हो गये है उन्हें गहरा कर चालू करवाना और गाँव में	**दीर्घकालिक**

			हैंडपंप सूखे है और जो चालू है उनका पानी फ्लोराइड युक्त है। तालाब कम गहरे होने और और एनिकटो से रिसाव होने से पानी बह कर निकल जाता है ऐसे में पानी कम रुकने से पशुओ के लिए भी पानी कम हो जाता है ।	आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में बरसात के पानी को एनिकट और तालाब में ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में भूमिगत जल स्तर 200 फीट नीचे है । गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई के लिए 2 बरसाती नाला है । बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 5 एनिकट है जो जर्जर हो गये है और 2 छोटा तालाब है जिनमे पानी पूरे साल नहीं टिकता है ।	अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों में कच्चे चेकडैम और पक्के टांके का निर्माण। घर के आँगन में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के भी बारिश के समय कीचड़ में हो जाती है । राहगीरों को आने-जाने में समस्या रहती है ।	गाँवसभा बनने के बाद बैठकों में कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना और जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं । टूटी हुई सडको कों ठीक करवाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव देना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना -**	**व्यक्तिगत**	गाँव में सभी लोगो को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है । गाँव में कुछ लोगो को आवास योजना का लाभ नहीं मिल	गाँवसभा के जागरूक सदस्यों के द्वारा लोगों का आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और बकाया राशि का भुगतान	**तात्कालिक**

	आवास निर्माण, पेंशन संबधी समस्या		पा रहा है । उनके नाम सूची में नहीं जुड़े है, जिनके आवास तैयार है उनको पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है । गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों को नहीं मिल पा रही है।	कराना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक भूमि पर अधिकार नहीं**	**सार्वजनिक**	गाँव में लोगों कों उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक नहीं मिला है । वर्तमान में राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में सरकारी फरमानों से जमीन जाने का खतरा है । जानकारी के अभाव में गाँव के लोगो ने जंगल, चारागाह व बिलानाम जमीन पर दावा फाइल नहीं लगाई है ।	कब्जे की जमीन के लिए व्यक्तिगत दावा और जंगल की जमीन के लिए सामुदायिक दावा करना । कब्जे की जमीन की पैनल्टी कोर्ट में जमा करना और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान नरणिया गाँव में है वहां दूसरे गाँव से भी लोग आते है और अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है रागेला गांव में मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है ।	राशन की दुकान गाँव में ऐसे स्थान पर हो जहाँ इन्टरनेट की समस्या ना आये । जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना । राशन सामग्री पूरी और गुणवत्ता वाली दी जाये ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	गाँव में पक्की सड़के केवल गाँव में आने-जाने के लिए है । पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के ज्यादा नहीं है । पहाड़ियों पर केवल पगडण्डियों से ही जा सकते है ।	रास्ते अच्छे होने से बीमार लोगों को आसानी से समय रहते इलाज मिल सकता है । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव के लोग समस्या को लेकर दबाव नहीं बनाते है कि यह कार्य सरकार व पंचायत का है । गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	एनिकटो के जर्जर और बांध की ऊंचाई कम होने से पानी की ग्रहण क्षमता भी कम है । तालाब भी जल्दी ही सूख जाते है उनमे जल भराव क्षमता कम है । गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना । जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना । सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	पहाड़ी ढलानों पर कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, तालाब गहरीकरण और एनिकट के बांध की ऊंचाई बढ़ाना और मरम्मत कार्य । पानी को रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना, जिससे अशुद्ध पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है । बरसात के जल को सही तरीके से संरक्षित उपयोग करना ताकी जल स्तर एकदम से नीचे न जाये ।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
रोजगार के साधन	गाँव में रोजगार के साधन मात्र खेती या नरेगा में मजदूरी है । कृषि उत्पादन की कमी । अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव ।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती और तालाबों में मछलीपालन	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव । जमीन के बेहतर प्रबंधन तथा

	अच्छी तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलना ।	से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	मछलीपालन हेतु तालाबों, एनिकटो की बेहतर व्यवस्था की कमी।
जमीन	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

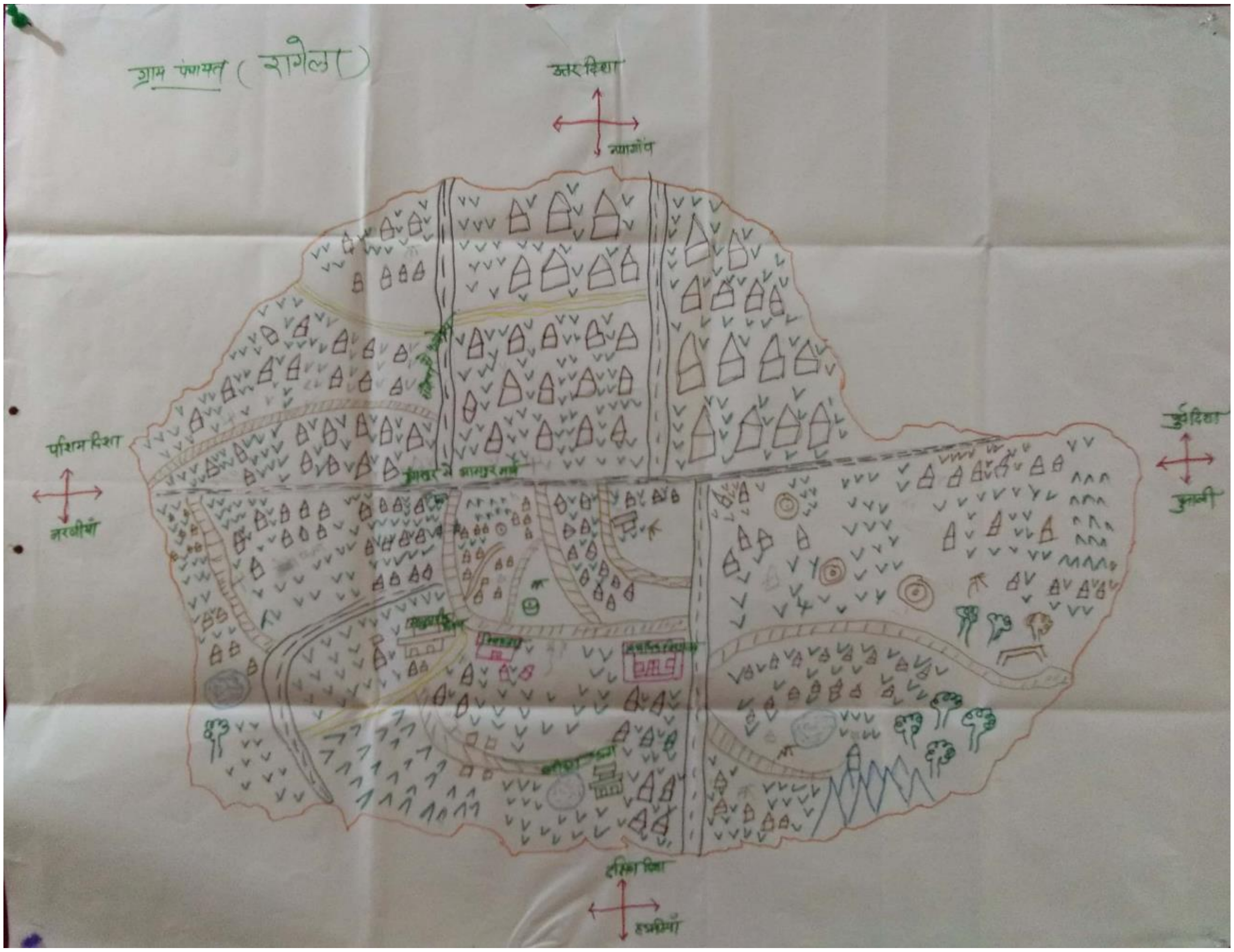

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में वृद्धा पेंशन एकलनारी पेंशन विकलांग पेंशन पालनहार 6-8 वर्ष	 3 2 1 3
पी.एम., सी.एम. आवास योजना नए निर्माण	7
शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में	6
स्कूल के सम्बन्ध में 3 अध्यापक नियुक्ति, 12 नये कमरे, प्रा. वि. का पुनर्निमार्ण, आर. ओ. प्लांट लगाना,	रा. प्रा. और उ. मा. वि. रागेला
सामुदायिक भवन मरम्मत के सम्बन्ध में	1
पक्की सड़क निर्माण (उ.मा.वि. से नई बस्ती धामन वेला तक)	
हैंडपंप के सम्बन्ध में नए हैंडपंप हैंडपंप मरम्मत	 7 2
पक्के चेकडैम निर्माण कच्चे चेकडैम निर्माण	3 4
नया एनिकट निर्माण	2
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण और मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	10
वृक्षारोपण के सम्बन्ध में	4
शमशान घाट निर्माण (स्नानघर, टिन-शेड, चबूतरा)	1
आर.ओ. प्लांट के सम्बन्ध में	2
सार्वजनिक कुआं गहरीकरण के सम्बन्ध में	2
धुणी माता मंदिर पर परकोटा निर्माण	1
खाद्य सुरक्षा से लोगो को जोड़ना	4 परिवार
गाँवसभा के द्वारा आपसी विवाद निपटारा	
सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....रागोला....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है ! हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....रागोला....

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

ग्रामसभा अध्यक्ष
रागोला

सचिव ग्रामसभा
रागोला

ग्राम विकास अधिकारी

पेसा कानून रा[illegible]स्थान अधिनियम 1999 नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनाँक 5/7/2018 को सामुदायिक भवन शिलालेख पर रागेला गाँव की गाँव सभा की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता वार्डपंच देवराम जी दायिमा ने की जिनकी अध्यक्षता बैठक की कार्यवाही की गई।
गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावो की चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा :—

[1] पेंशन के सम्बन्ध में :—
[अ] वृद्धा पेंशन
[ब] विधवा पेंशन
[स] एकल नारी पेंशन
[द] पालनहार पेंशन
[र] विकलांग पेंशन

[2] PM/CM आवास के सम्बन्ध में :—
(3) शौचालय भुगतान और निर्माण के सम्बन्ध में।
(4) सी॰ सै॰ स्कूल में अध्यापको की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
(5) भवन निर्माण के सम्बन्ध में :—
(6) सामुदायिक भवन की छत की रिपेरिंग के सम्बन्ध में।
(7) उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में :—
(8) राशन की दुकान खोलने के सम्बन्ध में।
(9) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में।
(10) हैण्डपम्प मरम्मत व नया हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध मे
(11) चेकडेम निर्माण के सम्बन्ध में।
(12) एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में :—
(13) खेत समतलीकरण, कुआँ गहरीकरण, पशुवाडा, नया कुआँ मेड बन्दी, खेत तलावडी के सम्बन्ध में :—
(14) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में :—
(15) श्मशान घाट के सम्बन्ध में :—
(16) R.O प्लान्ट लगवाने के सम्बन्ध में (पनघट योजना)
(17) सार्वजनिक कुँओ को गहरा करने के सम्बन्ध में :—
धुणी माता मन्दिर के परकोटे निर्माण के सम्बन्ध में :—

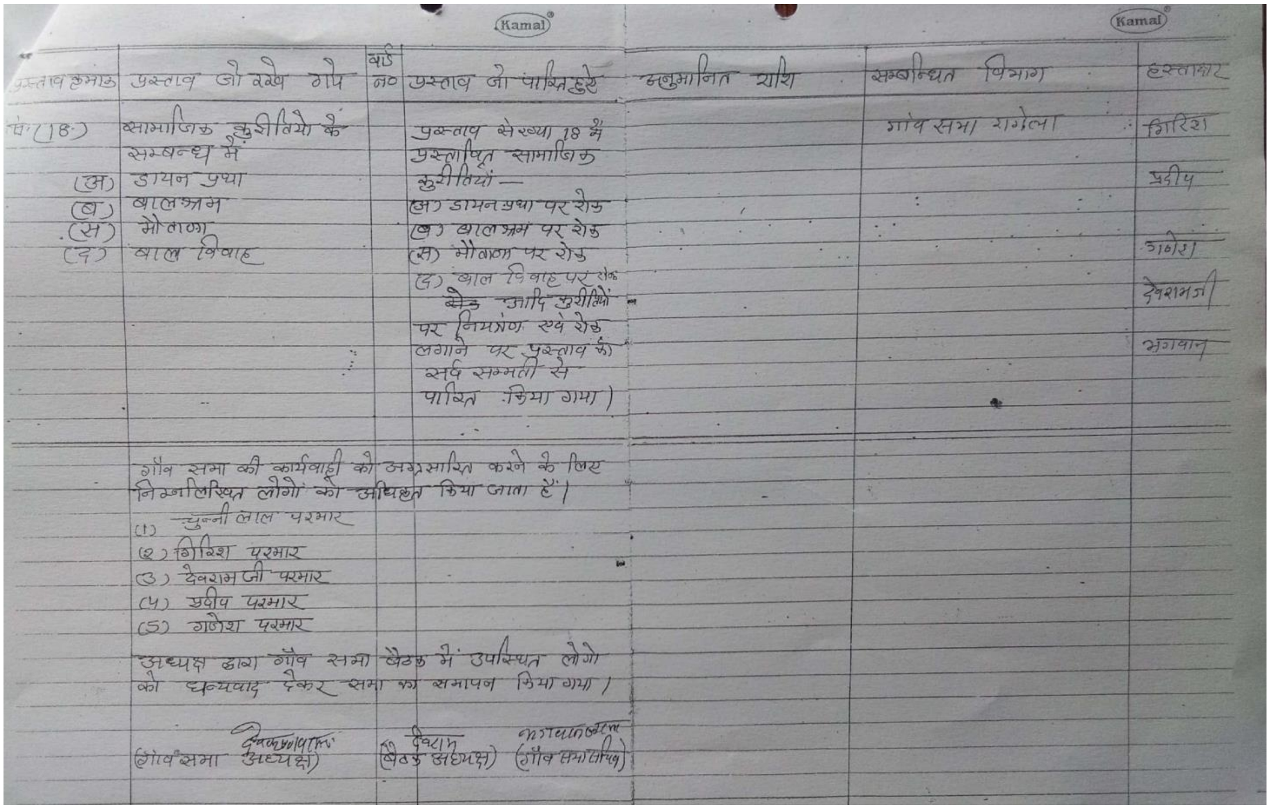

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव जो रखे गये	वार्ड न०	प्रस्ताव जो पारित हुऐ	अनुमानित राशि	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
(18)	सामाजिक कुरीतियो के सम्बन्ध में (अ) डायन प्रथा (ब) बालश्रम (स) मौताणा (द) बाल विवाह		प्रस्ताव संख्या 18 में प्रस्तावित सामाजिक कुरीतियां — (अ) डायन प्रथा पर रोक (ब) बालश्रम पर रोक (स) मौताणा पर रोक (द) बाल विवाह पर रोक आदि कुरीतियों पर नियंत्रण एवं रोक लगाने पर प्रस्ताव को सर्व सम्मती से पारित किया गया।		गोंव सभा रागेला	गिरिश प्रदीप गणेश देवरामजी भगवान

गॉव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगो को अधिकृत किया जाता हैं।
(1) चुन्नी लाल परमार
(2) गिरिश परमार
(3) देवराम जी परमार
(4) प्रदीप परमार
(5) गणेश परमार

अध्यक्ष द्वारा गॉव सभा बैठक में उपस्थित लोगो को धन्यवाद देकर सभा का समापन किया गया।

(गॉव सभा अध्यक्ष) (बैठक अध्यक्ष) (गॉव सभा सचिव)

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1.	प्रदीप परमार	9772744274
2.	जीवनप्रकाश परमार	7073117024
3.	रोहित कुमार	7568211856
4.	केसर	9950963776
5.	जितेन्द्र परमार	8875243794